GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE
TRIPURA :: AGARTALA.

No. F.M.I (Mise)-PHQ/17/2103-43(3) Dated 01/02/2023

To
01-19. The SsP (West)/ (South)/ (North)/ (Dhalai)/ (Unakoti)/ (Khowai)/ (Gomati)/ (Sepahijala)/ (SB)/ (Security)/ (Anti Narcotics)/ (Comn)/ (Proc.)/ (SCRB)/ (Traffic)/ (GRP)/ (MTF)/ (Serious Crime)/ (Cyber Crime), Tripura.

20. The Principal, KTD Singh PTA, Narsingarh, Tripura.

21-40. The Cos. (HG)/ (BW HG Bn)/ (CTI)/ (SAF)/ (TSR-I)/ (TSR-II)/ (TSR-III)/ (TSR-V)/ (TSR-VI)/ (TSR-VII)/ (TSR-VIII)/ (TSR-IX)/ (TSR-X)/ (TSR-XI)/ (TSR-XII)/ (TSR-XIII)/ (TSR-XIV)/ (TSR-XV) Bns./ CIAT School & ACRR TSR Trg. Centre, Tripura.

Subject: - Pandit Govind Ballabh Pant Purashkar Yojana 2022-23.

Kindly refer to the above subject.

You are requested to forward articles containing about 150 pages on offences of new crime/ dark web/ crypto currency and it solution and other topic in Hindi as per prescribed Proforma and guidelines of MHA, New Delhi which are available in Tripura Police website, **by 23/02/2023** positively for further necessary action.

01/02/2023
(Kishan Kumar)
Asstt. Inspr. Genl. of Police (Welfare)
For Director General of Police
Tripura

Copy to:-

1. The I/C, E-Gov. Cell, PHQ. He is requested to display the same letter along with enclosures (5 sheets) in Tripura Police website immediately.

01/02/2023
(Kishan Kumar)
Asstt. Inspr. Genl. of Police (Welfare)
For Director General of Police
Tripura

शशि कान्त उपाध्याय
उप-महानिरीक्षक/उपनिदेशक (वि० पु० अ०)

Shashi Kant Upadhyay
DIG / Deputy Director (SPD)

Tel. 91-11-26781311 (O)
E-mail dig-spd1@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली–110037

Bureau of Police Research And Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipal Pur
New Delhi-110037

सं.18001/01/2020-हिंदी-(7408)

दिनांक: 28 दिसंबर, 2022

विषय – पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2022-23

महोदय/महोदया,

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 से पुलिस, कारागार प्रशासन, अपराधशास्त्र तथा न्यायालयिक विज्ञान व अन्य पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के लिए **पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार** योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हिन्दी में उपलब्ध उपरोक्त विषयों की अच्छी पुस्तकों को शामिल करने हेतु इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इससे न केवल राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ-साथ आम जनता को पुलिस से संबंधित विषयों की हिंदी में भरपूर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस पत्र के साथ इस योजना की विस्तृत जानकारी संदर्भ हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि आप इस सूचना को **अपने कार्यालय व सभी अधीनस्थ कार्यालयों में जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से नोटिस बोर्ड आदि पर लगवाकर प्रचारित करवाने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त अपने विभाग से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिका में भी इस सूचना को प्रकाशित करवाएं**। इससे न केवल आपके विभाग में छुपी लेखन प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलेगा, बल्कि बदलते परिवेश में पुलिस की विभिन्न समस्याओं के निराकरण का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा। योजना के लिए प्रविष्टियां भेजने की **अंतिम तिथि 31 मार्च 2023** है। इसमें पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्यायालयिक विज्ञान, कारागार एवं सुधारात्मक प्रशासन से संबंधित अधिक से अधिक प्रविष्टियों को भेजने/भिजवान का कष्ट करें।

आपका

(शशि कान्त उपाध्याय)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सेवा में,

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक
सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस महानिदेशक
सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख
सभी विश्वविद्यालय/प्रकाशक

निवेदन

पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2022-23

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द्वारा पुलिस, कारागर प्रशासन, अपराधशास्त्र तथा न्यायालयिक विज्ञान व अन्य पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से "**पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार**" योजना चलाई जा रही है। इस योजना की जानकारी के संबंध में, ब्यूरो द्वारा **दिनांक 24 दिसंबर, 2022** को विभिन्न हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इस योजना का पूर्ण विवरण एवं विज्ञापन एक बार पुनः संलग्न किया जा रहा है।

2. **सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों, राज्य पुलिस बलों/संगठनों के प्रमुखों,** कारागार, प्रशिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों इत्यादी के प्रमुखों से अनुरोध है कि इस योजना की विस्तृत जानकारी अपने कार्यालयों व अधीनस्थ कार्यालयों में प्रचारित करें और इस योजना के लिए अधिक से अधिक प्रविष्टियां भिजवाने की कृपा करें। इससे जहां आपके विभाग में छुपी लेखन प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलेगा वहीं बदलते परिवेश में पुलिस की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सहयोग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। योजना के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि **31 मार्च 2023** है।

(शशि कान्त उपाध्याय)
उप निदेशक (एसपीडी)

दिनांकः 26 दिसंबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2022-23

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत **वर्ष 2022-23** के लिए दिनांक **31 मार्च**, 2023 तक प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत मूल प्रकाशित पुस्तकों पर **पाँच पुरस्कार तीस-तीस हजार रूपये** के जिनमें एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है तथा **दो पुरस्कार चौदह-चौदह हजार रुपये** के अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए जिसमें एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है, प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त **दो पुरस्कार चालीस-चालीस हजार रूपये** के हैं जिसके लिए रूपरेखाएं आमंत्रित हैं। रुपरेखाएं **"नए-नए अपराध, डार्कवेब, क्रिप्टोकरेंसी से अपराध एवं समाधान"** विषय पर तथा **"नागरिक केन्द्रीत पुलिसिंग में सोशल मीडिया की उपयोगिता एवं चुनौतियां"** विषय पर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपादक हिंदी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट **www.bprd.nic.in** पर उपलब्ध है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
पुलिस से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए
पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना वर्ष 2022-23

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

2. इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं-

भाग-1 पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

(1) मूल पुस्तकें – **30,000/-30,000/-** रूपये तक के **पांच** पुरस्कार। इन पांच पुरस्कारों में से एक पुरस्कार महिला लेखक के लिए आरक्षित है। बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

(2) अनूदित हिन्दी पुस्तकें **14,000/-, 14,000/-** रूपये तक के दो पुरस्कार। (एक महिला लेखकों के लिए आरक्षित है बशर्ते कि उनकी रचना प्राप्त हुई हो।

भाग-2 – ब्यूरो, पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रतिवर्ष **40,000/-** रूपये तक के **दो पुरस्कार** प्रदान करता है जिसके लिए लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री शामिल करनी है, का उल्लेख अपनी रूपरेखा के द्वारा करना होगा।

निम्नलिखित विषयों पर रुपरेखाएं आमंत्रित है:-

(i)**"नए-नए अपराध, डार्कवेब, क्रिप्टोकरेंसी से अपराध एवं समाधान"** तथा

(ii) **"नागरिक केन्द्रीत पुलिसिंग में सोशल मीडिया की उपयोगिता एवं चुनौतियां"**

(3) पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

(4) योजना के प्रथम भाग में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो **31-12-2022** तक प्रकाशित हुई हैं।

(5) भाग-1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं, परन्तु यदि विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी। प्रकाशन करवाने की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी। भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी।

(6) पुस्तकों/पांडुलिपियों की **तीन-तीन प्रतियाँ निर्धारित संलग्न प्रपत्र** के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी। ये पुस्तकें/पांडुलिपियाँ वापिस नहीं की जाती हैं।

(7) पुस्तकें लगभग 150 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए।

(8) योजना के भाग-2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय पर **विस्तृत रूपरेखा और अपने बायोडाटा की तीन-तीन प्रतियां** भेजें।

(9) इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी हो।

(10) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें/रूपरेखाओं का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि कम कर दे।

(11) किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी **तीन** वर्षों के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।

(12) **भेजने की अंतिम तारीख**-

उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक अथवा पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो के कार्यालय में **31.03.2023** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

(13) कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक हिन्दी,
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
राष्ट्रीय राजमार्ग-8
महिपालपुर, नई दिल्ली- 110037
दूरभाष – 011-26734836

(यह विज्ञापन वर्ष **2022-23** के लिए है)

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2022-23

प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम/विषय .....

2. पुस्तक का संस्करण व वर्ष .....

3. लेखक/अनुवादक का नाम और पूरा पता .....

   .....

   टेलीफोन/मोबाईल नं0 एवं ई-मेल पता .....

4. प्रकाशक का नाम और पता .....

5. रायल्टी पाने वाली संस्था अथवा व्यक्ति का नाम व पूरा पता.....

   .....

6. (क) क्या यह रचना मूल अथवा अनूदित है.....

   (ख) यदि अनूदित कृति है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक और प्रकाशक का पूरा पता.....

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह अनूदित कृति है तथा इसके लेखक और प्रकाशक से हिंदी अनुवाद तथा प्रकाशित करने की अनुमति ले ली गई है।
8. प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक की मूलकृति, अनुवाद अथवा पांडुलिपि पर भारत, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा परिचालित कोई पुरस्कार अथवा किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक-

हस्ताक्षर (लेखक/अनुवादक)